मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 6–1/2010/एक/9 **भोपाल, दिनांक २०/५/2010**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2010–11

राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर वर्ष 2010–11 हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है:–

2/– प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के पूरे वर्ष निरन्तर स्थानान्तरण करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। वर्ष 2010–11 के लिए इन निर्देशों के जारी होने की दिनांक से 15 जून, 2010 तक की अवधि के लिए प्रतिबन्ध शिथिल किया जाता है एवं इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानातरण कर सकेंगे।

3/– जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे, वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परन्तु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जायेगी।

4/– जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानांतरण जिले के कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।

5/– राज्य स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्य विभागीय प्रक्रिया के अन्तर्गत ही किए जाने चाहिए। द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अन्तर–जिला स्थानांतरण विभागाध्यक्ष स्तर से, विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत एवं प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण राज्य शासन स्तर से, विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएं।

6/— प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि सहित) अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे —

क्रमांक	पद/संवर्ग की संख्या	अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)
1	200 तक	20 प्रतिशत
2	201 से अधिक	40+200 से ऊपर का 10 प्रतिशत

'परन्तु वन विभाग अवैध कटाई, अतिक्रमण तथा आपराधिक स्वरूप के प्रकरणों से संबंधित उपयुक्त (appropriate) मामलों में विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण के उपर्युक्त अधिकतम प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण कर सकेगा।'

7/— उपरोक्त अधिकतम प्रतिशत में स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर, परस्पर स्वयं के व्यय पर एवं पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति से वापसी पर रिक्त पद पर तथा एक ही नगरीय क्षेत्र के अंदर किये जाने वाले स्थानांतरण शामिल नही किये जाएंगे ।

8/— इस स्थानान्तरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्रीजी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे।

9/— राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए:—

9.1 स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में शत–प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएं। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किन्तु ऐसे स्थानांतरण, उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम से किये जायें, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हो उसका स्थानांतरण पहले किया जाये। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु —

9.1.1 उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

9.1.2 अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भारमुक्ति के विशिष्ट आपवादिक प्रकरणों में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा।

9.2 नवगठित जिलों में भी रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इन जिलों के रिक्त पदों की पूर्ति के उपरांत ही अन्य जिलों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जाएगी।

9.3 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जायेगी परन्तु जिले के भीतर इन अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त ही की जा सकेगी ।

9.4 तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना /स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त ही किया जा सकेगा ।

9.5 पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरणों का नियमन मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के आदेश कमांक एफ–1–73/1998/ब–2/दो, दिनांक 14.02.2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।

9.6 वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारियों की पदस्थापना वन वृत्त में की जाएगी। वन वृत्त के अंदर परिक्षेत्र में पदस्थापना संबंधित वन संरक्षक द्वारा की जाएगी। वन मंडल के अंदर वन परिक्षेत्र अधिकारियों से निम्न स्तर के अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किये जाएंगे।

9.7 जिले के अन्दर किये जाने वाले स्थानान्तरण से विवाद या गतिरोध की स्थिति में अंतिम निर्णय विभागीय मन्त्री द्वारा लिया जा सकेगा।

9.8 जिलों में पदस्थ कार्यपालक प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

9.9 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर सामान्यतः 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया ही जावे। वर्क्स एवं रेगुलेटरी विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाये। चिकित्सक आदि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रह सकते हैं। इसी प्रकार न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरण में विभाग स्वविवेक से निर्णय लेकर स्थानान्तरण कर सकता है। आशय यह है कि इन आधारों पर 3 वर्ष के पूर्व भी स्थानान्तरण किये जा सकेगें। कार्यपालिक अधिकारियों को एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक की पदस्थापना हेतु विभागीय मंत्री की अनुमति प्राप्त की जावेगी। किसी भी तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारी को एक ही जिले में पांच वर्ष से अधिक समय की अवधि की पदस्थापना के लिये विभागीय मंत्री के अनुमोदन से रखा जा सकेगा।

9.10 परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा।

9.11 स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानांतरण – यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो उसे पुनः उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जावेगा। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर उसके कार्यालय प्रमुख के द्वारा सत्यापित किए जाएं। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किये गये स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग–अलग जारी किये जाएं।

9.12 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उनका स्थानांतरण नही किया जाए। यदि प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार स्थानांतरण किये जाने पर विचार किया जाए ।

9.13 पति–पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति/पत्नी यदि एक ही जिले में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर उसके कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किए जाएं।

9.14 कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलेसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

9.15 शिकायती जांच के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा।

9.16 ऐसे विकलांग कर्मचारी, जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के सामान्यतः स्थानांतरण न किये जायें, किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वैच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा।

9.17 किन्हीं भी कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किन्तु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में एवं कंडिका 9.12 की परिस्थिति में उनके गृह जिले में स्थानान्तर किया जा सकेगा।

9.18 जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है, वहां से कम स्टाफ वाली जगह पर युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरण किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थानांतरण नहीं होंगे।

9.19 उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 01.07.2008 से प्रारंभ शैक्षणिक सत्र से सेमिस्टर पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत कक्षाएं 01 जुलाई से प्रारंभ की जाती हैं, अतः स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में शैक्षणिक विभागों के लिये छूट दिनांक 15.4.2010 से प्रारंभ कर यह छूट दिनांक 31.5.2010 तक प्रदाय की जाती है।

9.20 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन विद्यालयों/महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हों, वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाये। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किन्तु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला, 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है, उन्हें अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाये। पद से अधिक पदस्थापना किसी भी स्थिति में न की जावे। पदस्थापना के समय विषयवार रिक्ति का ध्यान रखा जाये एवं तद्नुसार ही पदस्थापना की जाये।

9.21 राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों यथा–अध्यक्ष एवं सचिव/मंत्री को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से 3 वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। 3 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10–6/05/1–15/क.क., दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा जिन पदाधिकारियों की सूची संबंधित कलेक्टर को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।

9.22 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पतालों/डिस्पेंसरी में कार्यरत डाक्टर्स/नर्स/स्टाफ का युक्तियुक्तकरण किया जाये।

9.23 किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी।

9.24 क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरूपयोग/गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाएं, उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए।

9.25 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 14195/2007 (एस) में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.11.2008 में शासन द्वारा कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों का ध्यान नहीं रखने पर टिप्पणी की है, जैसे–बिना रिक्त पद के स्थानांतरण किया जाना। पद रिक्त न होने के कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, अतः विभाग आदेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण जहां किया जा रहा है वहां पद रिक्त है या नहीं। आदेश जारी करने के पूर्व, विभाग द्वारा पद रिक्तता का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा।

9.26 जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों, वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाए।

9.27 राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानान्तरण किये जायें एवं इन योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण, योजना क्रियान्वयन विभाग की अनापत्ति के बिना न किए जाएं।

9.28 संलग्न तालिका में सम्मिलित कम लिंगानुपात वाले 14 जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जावे।

9.29 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हों, उनकी तैनाती कार्यपालिक (executive) पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित हो, की पदस्थापना सामान्यतः कार्यपालिक (executive) पदों पर नहीं की जाए।

10/— नक्सल प्रभावित जिलो में समस्त विभागों द्वारा योग्य एवं सक्रिय अधिकारियों की पदस्थापना की जावे एवं पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः दो वर्ष की अवधि से पूर्व नहीं किया जावे।

11/— **<u>प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण–</u>**

11.1 प्रतिबंध अवधि के दौरान मुख्य रूप से न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त स्थान की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों में स्थानांतरण किए जाएंगे।

11.2 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण को छोड़कर अन्य श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में प्रतिबंध की अवधि के दौरान समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

11.3 प्रतिबंध की अवधि के दौरान तहसील स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का तहसील के अंदर तथा जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होने पर स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किये जाएंगे। वन विभाग के स्थानांतरण प्रकरणों में कंडिका 9.6 का पालन किया जाएगा। स्थांनातरण के लिये कारण सहित निर्णय लेखबद्व करने होगें, ताकि प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण करने का औचित्य स्पष्ट हो सके। इस प्रकार स्थानांतरण आदेशों में किसी व्यक्ति विशेष की स्थापना रिक्त पद पर ही की जा सकेगी तथा व्यक्ति विशेष के लिये स्थान उपलब्ध कराने के लिये किसी अन्य कर्मचारी का स्थानांतरण कर स्थान रिक्त नहीं किये जा सकेगें और न ही शिकायतों के आधार पर पूर्व में हटाये गये कर्मचारी को उसी स्थान पर पुनः पदस्थ किया जा सकेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये सामान्य प्रकृति के स्थांनातरण नहीं है, इसलिये विशिष्ट स्वरूप के प्रकरणो में ही इस व्यवस्था का उपयोग किया जाना है।

11.4 प्रतिबंध अवधि के दौरान पुलिस विभाग के जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होने पर स्थानांतरण आदेश प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये जाएंगे। यह स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकेगें।

11.5 आदेश जारी करने के पूर्व, विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्वांतों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा।

11.6 प्रतिबंध अवधि में नीति से हटकर स्थानांतरण किये जाते है तो नीति की कंडिका–8 अनुसार समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश प्राप्त करने होंगे।

12/– यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिये निर्धारित प्रकिया का अनुसरण आवश्यक है। जहॉ तक एक ही स्थान पर स्थित अलग–अलग कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एक ही स्थान पर स्थित एक कार्यालय से उसी स्थान पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी तहसील तथा जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का उपरोक्तानुसार स्थानीय परिवर्तन प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत कर सकेंगे। जिला स्तर के संवर्गों से ऊपर के अधिकारियों/कर्मचारियों के उपरोक्तानुसार स्थानीय परिवर्तन विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा किये जा सकेंगे। इस प्रकार के स्थानीय परिवर्तन कण्डिका–6 में उल्लेखित प्रतिशत की सीमा की गणना में नहीं माने जाएंगे।

13/— स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाए। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जायेगा।

14/— स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

15/— स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6—1/2005/1/9 दिनांक 10.05.2005, 29.07.2005, 09.08.2005 एवं 29.10.2005 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाए जायेंगे। जहाँ तक कलेक्टर/विभागीय अधिकारी, वन संरक्षक एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गये स्थानांतरण आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन का प्रश्न है, इनका निराकरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

16/— कर्मचारियों/अधिकारियों को दोहरा प्रभार नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था किये जाने पर औचित्य दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

17/— सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(प्रदीप खरे)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 6–1/2010/1/9 **भोपाल, दिनांक 20/5/2010**

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
16. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
17. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

20.4.X

(ए.एस.पगारे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

स्थानांतरण नीति वर्ष 2010–11 (बिंदु क्रं0 9.28)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 900 से कम लिंगानुपात वाले 14 जिलों की तालिका

क्रमांक	जिले का नाम	लिंगानुपात
1.	मुरैना	822
2.	भिण्ड	829
3.	ग्वालियर	847
4.	श्योपुर	893
5.	शिवपुरी	858
6.	दतिया	858
7.	गुना	885
8.	टीकमगढ़	886
9.	छतरपुर	869
10.	सागर	884
11.	विदिशा	876
12.	भोपाल	896
13.	होशंगाबाद	898
14.	रायसेन	880

शाकेमुभो—70—उससाप्रवि—20-4-10—2,000.